न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
463 / 2024	23.07.2024	28.08.2024

उनवान

1. संदीप पिता बालुलाल पोरवाल जाति पोरवाल आयु वयस्क निवासी आर०के० कॉलोनी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री अंकुर पिता सुरेशचन्द्र न्याति जाति न्याति आयु वयस्क निवासी आर०के० कॉलोनी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्रीमति दीपमाला पत्नि अंकुर न्याति जाति न्याति आयु वयस्क निवासी आर०के० कॉलोनी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
4. श्री सुरेशचन्द्र पिता जग्गनाथ न्याति जाति न्याति आयु वयस्क निवासी आर०के० कॉलोनी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)
5. श्रीमति रितु पत्नि पंकज कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल आयु वयस्क निवासी आर०सी० व्यास कॉलोनी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से कन्हैयालाल सेन
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू—अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है खाता संख्या 636 में स्थित आराजी नम्बर 2627 / 2480 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2635 / 2518 रकबा 0.0731 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2640 / 2616 रकबा 0.0231 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 692 में स्थित आराजी नम्बर 2628 / 2480 रकबा 0.0070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2636 / 2518 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2641 / 2616 रकबा 0.0342 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 05 में स्थित आराजी नम्बर 2478 / 580 रकबा 0.0145 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2629 / 2480 रकबा 0.0070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2644 / 2530 रकबा 0.1432 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2647 / 2531 रकबा 0.0103 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2650 / 2482 रकबा 0.0221 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.1971 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त खाता संख्या 636 आराजी नम्बर 2627/2480 रकबा 0.0050 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2635/2518 रकबा 0.0731 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2640/2616 रकबा 0.0231 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.1012 हैक्टयर व खाता संख्या 692 में आराजी नम्बर 2628/2480 रकबा 0.0070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2636/2518 रकबा 0.0600 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2641/2616 रकबा 0.0342 हैक्टयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.1012 हैक्टयर व खाता संख्या 5 में आराजी नम्बर 2478/580 रकबा 0.0145 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2629/2480 रकबा 0.0070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2644/2530 रकबा 0.1432 हैक्टयर, 2647/2531 रकबा 0.0103 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2650/2482 रकबा 0.0221 हैक्टयर, कुल किता 05 कुल रकबा 0.1971 हैक्टयर दर्ज रेकॉर्ड है जिसका मुल नम्बर आराजी नम्बर 580 था जिसके साबिक नम्बर 892/2 थे जो कि जुगल किशोर के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी।

उक्त कृषि भूमि के मूल नम्बर 580 थे जिसके साबिक कृषि आराजी नम्बर 892/2 थे जिसका सम्वत 2025 मे खातेदार जुगल किशोर था, सम्वत 2025 में सेटलमेंन्ट हुआ था उसके दोरान सेटलमेंन्ट के कर्मचारियों ने उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 580 को सिचांई विभाग के नाम पर गलत रूप से दर्ज कर दी गई जिसकी दुरस्ती कराई जाने हेतू तत्कालीन खातेदार जुगल किशोर द्वारा न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर सेटलमेन्ट के द्वारा हुई त्रुटि को सही किया जाने हेतू वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 580 को सिंचाई विभाग के नाम से हटा कर पूर्व खातेदार जुगल किशोर के नाम पर दर्ज कर दी गई थी किन्तु उपरोक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम पर गलत रूप से दर्ज हो जाने से उपरोक्त वर्णित भूमि की किस्म गेंमु० नहर दर्ज कर दी जबकि तत्कालीन खातेदारान द्वारा न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित भूमि को सिंचाई विभाग के नाम से हटवा कर तत्कालीन खातेदार जुगल किशोर के नाम पर दर्ज कर दी थी किन्तु सेवन से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि कि किस्म परिवर्तन नही हो पायी जबकि उपरोक्त भूमि सिचाई विभाग के नाम से हटाई जाकर खातेदार के नाम पर पुनः दर्ज कर दी गई तो उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की किस्म भी परिवर्तन होनी चाहिए थी किन्तु सेवन से भूलवश उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी नम्बर 2628/2480, 2641/2616, 2478/580, 2629/2480, 2650/2482, 2627/2480, 2640/2616 की किस्म परिवर्तन नही हो पाई जिससे आराजी नम्बर 2628/2480, 2641/2616, 2478/580, 2629/2480, 2650/2482, 2627/2480, 2640/2616 की किस्म गेमु० नहर से परिवर्तन की जाकर चाही प्रथम दर्ज किया जाने हेतू यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात में वर्णित आराजी नम्बर 2628 / 2480, 2641 / 2616, 2478 / 580, 2629 / 2480, 2650 / 2482, 2627 / 2480, 2640 / 2616 की भूमि के मोके पर फसल कास्त की जाकर प्रार्थीगण उसका उपयोग–उपभोग करते आ रहे है किन्तु राजस्व जमाबंदी मे उपरोक्त आराजियात की किस्म गेमु० नहर दर्ज अंकित है जबकि मोके पर किसी प्रकार की के नहर नही है केवल सेटलमेन्ट के कर्मचारियो द्वारा गलत तरिके से उक्त भूमि को सिचाई विभाग के नाम पर दर्ज कर देने से उपरोक्त आराजियात की किस्म गेमु० नहर दर्ज हो गई जिसको भी तत्कालीन खातेदार द्वारा दुरस्ती कराई जाकर अपने नाम पर दर्ज करवा दी किन्तु भूलवश उपरोक्त आराजियात की किस्म परिवर्तन नही हो पाई इसलिए उपरोक्त आराजी नम्बर की किस्म गेमु० नहर दर्ज है जिसे हटाया जाकर आराजी नम्बर 2628 / 2480, 2641 / 2616, 2478 / 580, 2629 / 2480, 2650 / 2482, 2 2627 / 2480, 2640 / 2616 की किस्म चाही प्रथम अंकित किया जाने हेतु प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी की और से जवाब पेश हुआ। विपक्षी की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 2627 / 2480, 2635 / 2518,2640 / 2616, 2628 / 2480, 2636 / 2518, 2641 / 2616, 2478 / 580, 2629 / 2480, 2644 / 2530, 2647 / 2531, 2650 / 2482 भूमि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 2627 / 2480 2635 / 2518, 2640 / 2616, 2628 / 2480, 2636 / 2518,2641 / 2616, 2478 / 580, 2629 / 2480, 2644 / 2530, 2647 / 2531, 2650 / 2482 भूमि साबिक खसरा संख्या 892 / 2ग से बने है।

ग्राम आरजिया की साबिक खसरा संख्या 892 / 2ग बाद भूप्रबन्ध के हाल आराजी संख्या 580 किस्म गैमु नहर को खातेदार के बजाय सिचाई विभाग के नाम दर्ज की गई जिसे न्यायालय आदेश से जरिये नामा० संख्या 1629 दिनांक 24 / 05 / 2011 से आ०सं० 580 जुगलकिशोर पिता जेठमल बियाणी के नाम पुन दर्ज की। तथा नामा० संख्या 1771 नि०दि० 27 / 11 / 2012 से अमर सिह पिता गुलाब सिह रजनी पत्नि अमरसिह भण्डारी के नाम दर्ज होकर वर्तमान खातेदारान के नाम भूमि कय किये जाने से दर्ज हुई है। ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 2627 / 2480, 2635 / 2518, 2640 / 2616, 2628 / 2480, 2636 / 2518, 2641 / 2616, 2478 / 580, 2629 / 2480, 2644 / 2530, 2647 / 2531, 2650 / 2482 साबिक खसरा संख्या 892 / 2ग से बने साबिक किस्म रे०क० थी जिसे भू०प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गैमु० नहर किस्म दर्ज की गई है। ग्राम आरजिया की आराजी संख्या 2627 / 2480,, 2628 / 2480, 2478 / 580, किस्म गैमु नहर होकर भूप्रबन्ध के बाद बने नवीन खसरा के बट्टा खसरा है जो साबिक खसरा संख्या 892 / 2 से बने है। साबिक किस्म भू०रे०क० से गैमु नहर दर्ज की मिलान क्षेत्रफल पत्रक मे तातिर्या अंकित किया गया है जो आ.सं.577 गैमु आचा से सिचाई हेतु काम मे लिया जाता था। वर्तमान मे आराजी संख्या 577 सडक मे आने से भर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2628/2480, 2641/2616, 2478/580, 2629/2480, 2650/2482, 2627/2480, 2640/2616 में किस्म गे0मु0 नहर दर्ज रेकार्ड है। ग्राम आरजिया की आराजी नम्बर 2627/2480,2628/2480,2478/580 किस्म गे0मु0 नहर होकर भूप्रबन्ध के बाद बने नवीन खसरा के बट्टा खसरा है, जो साबिक खसरा संख्या 892/2 से बने है। साबिक किस्म भू0रे0क0 से गे0मु0 नहर दर्ज की मिलान क्षैत्रफल पत्रक में तातिया अंकित किया गया है जो आ0सं0 577 गे0मु0 आचा से सिंचाई हेतु काम में लिया जाता था। वर्तमान में आराजी नम्बर 577 सडक में आने से भर दिया गया है। इसी प्रकार ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2628/2480, 2641/2616, 2478/580, 2629/2480, 2650/2482, 2627/2480, 2640/2616 में किस्म गे0मु0 नहर होकर भूप्रबन्ध के बाद बने नवीन खसरा के बट्टा खसरा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 2628/2480, 2641/2616, 2478/580, 2629/2480, 2650/2482, 2627/2480, 2640/2616 में किस्म गे0मु0 नहर को हटाया जाकर किस्म चाही प्रथम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08..2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा